

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा  
शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 42 जीबी, दिनांक : 02.07.2025

फार्म नं.- III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

मंगल सिंह बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर .....112 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी : 2025 / 191

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किये गये |
|------------|--|---|
| 02.07.2025 | <p>प्रार्थी मंगल सिंह के द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 42 जीबी में आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 38 जीबी खाता सं. 59 में दर्ज प्रार्थी के नाम मंगल सिंह पुत्र छैलेन्द्र सिंह को दुरुस्त कर मंगल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह दर्ज करने हेतु निवेदन किया। शिविर सहप्रभारी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट शिविर सहप्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर, भूअ.नि. व पटवारी, प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी खाता सं. 81 व न्यायालय द्वारा प्र.सं. 68/23 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2024, तथा शिविर सहप्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 38 जीबी खाता सं. 59 में प्रार्थी के नाम मंगल सिंह पुत्र छैलेन्द्र सिंह को दुरुस्त कर के स्थान पर मंगल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> |   |



शकुन्तला  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीविजयनगर

